

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01052024-253990
CG-DL-E-01052024-253990

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1780]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 30, 2024/वैशाख 10, 1946

No. 1780]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 30, 2024/VAISAKHA 10, 1946

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 30 अप्रैल, 2024

का.आ. 1872(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के एक उद्यम मैसर्स एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड को उक्त परंतुक के प्रयोजनों से इस शर्त के अधीन अधिसूचित करती है कि सार्वजनिक क्षेत्र का उक्त उद्यम अपने द्वारा किए गए पूर्वोक्त कार्यों के संबंध में सृजित डेटा संबंधित राज्य सरकार को उपलब्ध करायेगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 16/08/2015-खान VI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2024

S.O. 1872(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby notifies the M/s. NTPC Mining Limited, a Central Public Sector Enterprise under the control of the Ministry of Power, for the purposes of the said proviso subject to the condition that the said Public Sector Enterprise shall make available the data generated by it, in respect of the prospecting operations undertaken by it, to the concerned State Government.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 16/08/2015-Mines VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

2827 GI/2024